12.3.22	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पेशीकार साहब की रिपोर्ट प्राप्त हुई, रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर प्रा.पत्र. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	बाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार है। 700 ता.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:28:31 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

तारीख दायरा 08.03.2022

प्रकरण संख्या : 19/2022

उनवान

दिलीप कुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द जाति जैन निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

—प्रार्थी

बनाम

—अप्रार्थी

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 136 एल. आर. एक्ट</u>

उपस्थित :—

श्री अशोक कुमार जैन (वकील प्रार्थी) दिनांक :— 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

——निर्णय——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम अमृतखेड़ी तहसील सांगोद जिला कोटा मे वर्तमान खसरा न0 263/730 दक्षिणी की 0.03 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है जो कि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम से दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में खसरा 263 रकबा 1.19 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:28:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

का हिस्सा रही है जो कि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता श्री प्रेमचन्द पुत्र श्री प्रभूलाल जाति जैन निवासी सांगोद के नाम से दर्ज रही है। श्री प्रेमचन्द ने उनके जीवनकाल में प्रार्थी के पक्ष में एक पंजीकृत दान पत्र दिनांक 13.2.2013 को निष्पादित करते हुए उक्त खसरा न0 263 की 1.19 हैक्टर भूमि में से पूर्वी कोने की 0.03 हैक्टर दक्षिणी तरफ कोटा सांगोद रोड के लगवा कृषि भूमि को प्रार्थी को पंजीकृत दान पत्र के द्वारा प्रार्थी को दान कर दिया था तथा मौके पर कब्जा संभला दिया था। इसके उपरान्त से उक्त 0.03 हैक्टर भूमि प्रार्थी के एक मात्र शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है।

प्रार्थी ने आगे कथन किया कि प्रार्थी के पक्ष में 0.03 हैक्टर कृषि भूमि दान करने के उपरान्त खसरा न0 263 की शेष रही 1.16 हैक्टर भूमि श्री प्रेमचन्द के नाम दर्ज रही जिनके स्वर्गवास के उपरान्त उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम राजस्व खाते में दर्ज है। प्रार्थी ने किसी कार्यवश अपने उक्त कृषि भूमि खसरा न0 263/730 दक्षिणी के खाते व नक्शे की नकलें निकलवायी तो प्रार्थी की जानकारी में आया कि प्रार्थी के खाते में दर्ज खसरा न0 263/730 दक्षिणी की 0.03 हैक्टर भूमि को नक्शे में पूर्वी कोने पर दर्ज न किया जाकर कोटा रोड के सहारे सहारे दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी को दान पत्र के द्वारा पूर्वी कोने की 0.03 हैक्टर भूमि कोटा रोड के सहारे दक्षिणी तरफ का दान किया गया था। इस बाबत प्रार्थी ने हलका पटवारी जी से सम्पर्क कर जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि आपकी रजिस्ट्री में कोटा रोड के सहारे दक्षिणी तरफ का अंकन है इसीलिए नक्शाट्रेस में उक्त भूमि को कोटा रोड के सहारे दक्षिणी तरफ अंकन किया गया है। इस पर प्रार्थी ने हलका पटवारी जी से कहा कि मुझे तो पूर्वी कोने पर दक्षिणी तरफ कोटा रोड के सहारे [illegible] र कृषि भूमि का ही दान किया गया था तथा उसके अनुरूप ही मैं मौके पर क[illegible] इस पर हलका पटवारी जी ने कहा कि अभी शिविर लगने वाले हैं, आप शि[illegible] में आकर उक्त नक्शे में किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:28:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

गये अंकन को शुद्धि करवाने के लिए कार्यवाही कर देना। इस पर प्रार्थी राजस्व शिविर ग्राम पंचायत कुराडिया खुर्द पर पहुंचा तो वहां उसे जानकारी मिली कि इसके सम्बन्ध में उसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद के यहां कार्यवाही प्रस्तुत करनी पडेगी तथा वहां से ही यह दुरस्ती संभव होगी। इसलिए प्रार्थी अविलम्ब यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। उक्त पत्रावली दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्यालय उपखण्ड न्यायालय सांगोद में रखी गई। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया। हलका पटवारी से मौके की रिर्पोट ली गई जिसने भी अपनी रिर्पोट में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र अनुसार दुरस्ती किया जाना उचित रहेगा। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे संलग्न रिर्पोट हलका पटवारी से यह जाहिर होता है कि प्रार्थी के खाते में दर्ज खसरा न0 263/730 दक्षिण की आराजी खसरा न0 263 की 1.16 हैक्टर भूमि के दक्षिणी पूर्वी कोने पर कोटा रोड के सहारे मौजूद है तथा इसी स्थान पर उसका कब्जा भी है। अप्रार्थी का जवाब भी स्वीकारोक्ति में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि –

ग्राम अमृतखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा मे प्रार्थी के खाते में दर्ज खसरा न0 263/730 दक्षिणी की 0.03 हैक्टर कृषि भूमि को नक्शाट्रेस में दुरस्ती करते हुए खसरा न0 263 की 1.16 हैक्टर भूमि के दक्षिणी पूर्वी कोने पर कोटा रोड के सहारे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:28:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

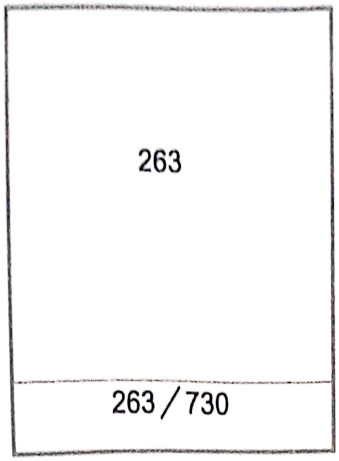

वर्तमान नक्शा अनुसार

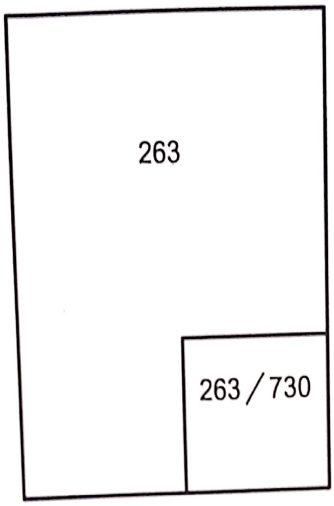

मौके अनुसार

उक्तानुसार नक्शाट्रेस में संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे [illegible]कर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:28:31 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद